न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 284/2018

लाधूराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी चक 10 एमसी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार राजियासर

दिनांक:–02.11.2020

निर्णय

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, राजियासर के निर्णय दिनांक 03.08.2018 जिसके द्वारा मातहत न्यायालय ने अपने प्रकरण संख्या 29/29 अनवान सरकार बनाम लाधुराम पुत्र तारूराम में अपीलांट को चक 10 एमसी के पत्थर न. 159/59 के किला न. 12 में 0.063 है0 रकबा पर आवासीय ढाणी बनाने पर प्रश्नगत भूमि पर अतिक्मी मानकर उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार लेने का आदेश दिया है, के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को चक 10 एमसी का पत्थर न. 159/59 के किला न. 12 में 0.063 है0 रकबा पर आवासीय ढाणी होने पर अतिक्मी माना है जो पूर्णतया गलत है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत तैयार की गई है क्योंकि अपीलांट द्वारा स्वयं की भूमि पर ही आवासीय ढाणी बना रखी है सरकार भूमि पर अतिक्मण नहीं किया गया है। उकत ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित व माल पशु सहित निवास करता है। उक्त ढाणी 15–20 वर्ष पूर्व की है। अपीलांट को इस संबंध में कभी कोई आपत्ति/नोटिस धारा 22 का जारी नहीं किया गया है महज कश्तक रों ने रंजिशवश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे आधार बनाया गया है तथा पटवारी को निर्णय का आधार बनाया गया है। प्रकरण में पटवारी हल्का के ना तो बयान लिये गये व ना ही पटवारी हल्काका शपथ पत्र लिया गया। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में ही आवासीय ढाणी का निर्माण किया हुआ है। अपीलांट द्वारा अपने जवाब नोटिस में व मौखिक तौर पर निवेदन किया गया था कि भूमि की पैमाईश करवाई जावे तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। फिर भी यदि अतिक्मण होगा तो अपीलांट भूमि खाली कर देगा। अपीलांट उक्त ढाणी में बच्चो सहित निवास करता है व आर्थिक धन व परिश्रम का व्यय हुआ है। मातहत न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच किये उक्त आदेश पारित किया है । यदि उकत आदेश की पालना होती है तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा बच्चो व माल पशु सहित सडक पर आ जावेगा क्योंकि अपीलांट के पास रिहायश की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक छाबडा व रेस्पोडेंट पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
5. योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 10 एमसी का पत्थर न. 159/59 के किला न. 12 में 0.063 है0 रकबा पर आवासीय ढाणी होने पर अतिक्मी माना है जो पूर्णतया गलत है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत तैयार की गई है क्योंकि अपीलांट द्वारा स्वयं की भूमि पर ही आवासीय ढाणी बना रखी है सरकार भूमि पर अतिक्मण नहीं किया गया है। उकत ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित व माल पशु सहित निवास करता है। उक्त ढाणी 15–20 वर्ष पूर्व की है। अपीलांट को इस संबंध में कभी कोई आपत्ति/नोटिस धारा 22 का जारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

नहीं किया गया है महज काश्तकारों ने रंजिशवश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे आधार बनाया गया है तथा पटवारी को निर्णय का आधार बनाया गया है। प्रकरण में पटवारी हल्का के ना तो बयान लिये गये व ना ही पटवारी हल्काका शपथ पत्र लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर अपीलांट को विधिवत रूप से कोई तामील नहीं करवाई है। राज्य सरकार द्वारा धारा 22 की कार्यवाही की शक्तियां हेतु जिला कलक्टर को प्रदत्त की गई थी जिसे संशोधन कर तहसीलदार को दी गई है। परन्तु नायब तहसीलदार धारा 22 की कार्यवाही हेतु सक्षम नहीं है हस्तगत प्रकरण में की गई धारा 22 की कार्यवाही नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। जैर अपील रकबा प्रार्थी को आवंटन है ।उक्त रकबा जोहडपायतन की भूमि होने के कारण रेफरेन्स प्रस्तुत किया हुआ है। जिससे साबित होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने आवंटित रकबा पर ही ढाणी का निर्माण किया हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.08.2018 अपास्त किया जावे।

6 राज पैरोकार ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है। अपीलांट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन चिंतन मनन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपने हक में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे जैर अपील भूमि पर उसक' मालिकाना हक साबित हो। प्रकरण के अवलोकन से जिससे सिद्व होता है कि अपीलांट द्वारा जोहड पायतन की भूमि पर अतिक्रमण किया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दी गई सजाये विधिक प्रावधानों के अनुरूप है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/11/20

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner